

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर० एग० ए० नं० 83/2011-12

सुरेश प्रसाद राय एवं अन्य

बनाम्

श्रीमती नीलम मोदी एवं अन्य

आदेश

दिनांक-08.06.2017

पुकार पर अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी दोनों अनुपस्थित।
इंटरवेनर उपस्थित।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता दिनांक-29.03.2016 को लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इसके पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका प्रदान किया गया था। इसके बावजूद लगातार अनुपस्थित ही अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलकर्ता को इस वाद के प्रति कोई अभिरुची नहीं है। मात्र में न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है।

अतः विचारोपरान्त अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।